न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी:- रामदेव सिंह, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 33/2003 (28/2000) अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :- 1. रामरतन पुत्र सरदारा जाति गूर्जर निवासी ग्राम शिवजी तन छीज तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:--- अपीलांट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी (एस0डी0ओ0) नियमन समिति, समस्या समाधान शिविर, तहसील बानसूर (अलवर)

:------ रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा प्रभारी अधिकारी (ए0सी0ई0एम0), बानसूर दिनांक 26.8.98

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री प्रभूसिंह चौधरी
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय ------- दिनांक 2.6.2016 ----------

1. प्रस्तुत अपील प्रभारी अधिकारी (सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,बानसूर), नियमन समिति,बानसूर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.8.1998 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने नियमन खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन/नियमन समिति के समक्ष पत्रावली संख्या 240/97 अन्तर्गत धारा 91 एल0 आर0 एक्ट नियमन हेतु पेश हुई । समिति ने नियमन योग्य प्रकरण नहीं पाये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश द्वारा पत्रावली खारिज की थी, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि आराजी खसरा नम्बर 985 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलांट का 50-60 सालों से कब्जा चला आ रहा है । तहसीलदार बानसूर ने अपने निर्णय दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

13.7.92 के द्वारा इस आराजी पर अपीलांट का सम्वत 2035 से लगातार कब्जा काश्त मानकर इस आराजी को अपीलांट के पक्ष में नियमन किये जाने हेतु पत्रावली नियमन समिति को भिजवा दी थी । खसरा परिवर्तनशील से साबित है कि अपीलांट का आराजी पर सन 1978 से आज तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस आराजी की किस्म गैर मुमकिन पहाड नहीं है, बल्कि काबिल काश्त है । इस आराजी में अपीलांट का पुख्ता कुआं भी बना हुआ है । अपीलांट ने किस्म की दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद भी दायर कर रखा है, जो विचाराधीन है । राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि पुराने कब्जों को नियमित कर दिया जावे । मैं नियमन की पात्रता रखता हूं,परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर पत्रावली खारिज कर दी । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कहना है कि यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है । देरी के संतोषजनक कारण भी नहीं बताये हैं, इसलिये अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज कर दी जावे । उन्होंने आगे मेरिटस पर तर्क दिये कि अपीलांट एक अतिक्रमी है । अतिक्रमी को किसी प्रकार की रिलीफ नहीं दी जा सकती । अगर अपीलांट को किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान की गई तो इससे अतिक्रमण की प्रवृत्ति को बढावा मिलेगा । विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड है, जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नियमन/आवंटन योग्य नहीं है । विद्वान तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों के जवाब में विद्वान वकील अपीलांटस का पुनः कहना है कि समस्या समाधान शिविर में तहसीलदार द्वारा पत्रावली भिजवा दी गई थी, जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई और ना ही तामील नोटिस जारी किये गये । पटवारी हल्का जब दिनांक 28..4.2000 को मौके पर आया तो उसने बताया कि नियमन पत्रावली खारिज हो गई है और अब बेदखली की कार्यवाही की जावे । इस पर अपीलांट ने दिनांक 29.4.2000 को तहसील में पूछताछ की और दिनांक 1..5.2000 को नकल लेकर दिनांक 2.5.2000 को यह अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश कर दी । जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये नरम रूख अपनाया जाता है तथा देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

7. रिपोर्ट पटवारी में प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 985 किस्म गैर मुमकिन पहाड रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा में से 7 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलांट का नाजायज कब्जा दर्शाया हुआ है । दिनांक 13.7.1992 को तहसीलदार बानसूर ने नियमन की सिफारिश के साथ पत्रावली नियमन समिति,बानसूर को भिजवाई थी । खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2035, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 में भूमि पर अपीलांट का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अतिक्रमण दर्शाया हुआ है । खसरा परिवर्तनशील के अनुसार अपीलांट का विवादित आराजी पर सन 1989–90 तक ही कब्जा साबित है । गवाहों ने अपने बयानों में अपीलांट का पुराना कब्जा बताया है ।

8. पत्रावली के सम्पूर्ण रूप से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड है । अपीलांट ने अपने लगातार कब्जे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण रेकार्ड पेश नहीं किया है । गैर मुमकिन श्रेणियों की भूमियां ना तो आवंटन योग्य है और ना ही नियमन योग्य है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमियों पर खातेदारी देने पर प्रतिबंध है ।

9. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट है कि विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलांट का नियमन का प्रकरण खारिज करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । । अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.8.98 यथावत रखा जाता है ।

11. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(रामदेव सिंह)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner